भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 164148

(प्रारुप–अ)

हम महेश प्रसाद प्रबन्धक एवं रमेश चन्द कोषाध्यक्ष, सूरज सेवा संस्थान शिक्षा समिति, पता ग्राम खिधिन पुरवा पोस्ट बड़ा गांव बडेहरा जनपद लखीमपुर खीरी (उ0प्र0) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करता हूँ कि:–

1. यह कि हमारे सोसायटी द्वारा डा0 भीम राव अम्बेडकर महाविद्यालय, मुरादनगर मजरा पतरासी लखीमपुर खीरी नामक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारे सोसायटी के नाम डा0 भीम राव अम्बेडकर महाविद्यालय, मुरादनगर मजरा पतरासी लखीमपुर खीरी में गाटा सं0 755/820/1 कुल रकबा 2.65 एकड़ भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं0 755/820/1 कुल रकबा 2.65 एकड़ पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायटी की बैठक दिनांक 17 जुलाई 2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही उपरोक्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम भूमि एव उस पर निर्मित एंव निर्धारित भवनो को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एंव इस पर निर्मित भवनो पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्थान में फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एव प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एव प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एंव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन भविष्य में न ही किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एंव कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एंव अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसायटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशो/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एंव सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एंव मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एंव अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वंय उत्तरदायी होऊंगा।

NOTARY
GOVT. OF INDIA

IDENTIFIED & VERIFIED BEFORE ME
R.K. VERMA
ADVOCATE & NOTARY
Reg. No. 31(G)
Lucknow (U.P.)

ह0 प्रबन्धक

ह0 कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner